

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय जामताड़ा

शिक्षक पद पर नियुक्ति की सूचना हेतु नमूना

१. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा १ से कक्षा ५ के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में दिनांक ०४.०७.२०१५ तक स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन-पत्र निम्नांकित पते पर आमंत्रित किया जाता है। दिनांक ०४.०७.२०१५ के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

पता— जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा
कम्बाईड बिल्डिंग, ब्लॉक 'सी'
श्रीरामपुर, जामताड़ा,
पिन कोड— ८१५३५१

२. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियों को भर कर, उचित स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चिपकायेंगे एवं आवेदन-पत्र के उचित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन-पत्र के साथ वांछित अभिलेख की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं दो अतिरिक्त फोटोग्राफ संलग्न कर एक लिफाफा में भेजेंगे। लिफाफा के ऊपर में बड़े अक्षरों में इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक/इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक (जो लागू हो) पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे तथा लिफाफे पर अपना नाम, पूरा पता एवं दूरभाष/मोबाइल संख्या अंकित करेंगे।

३. नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अहर्ता निम्नवत् है—

- i. भारत का नागरिक हो।
 ii. प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम ४(ख)(i) में वर्णित निम्नलिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान/प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया हो एवं उत्तीर्ण हो।
 (अ) न्यूनतम ५० प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।
 अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अन्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में ५ प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम ४५ प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अन्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में ५ प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम ५० प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा ४ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अन्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में ५ प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम ५० प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अन्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में ५ प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

एवं

- (ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा १ से कक्षा ५ के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण
४. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा १ से कक्षा ५ के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाषा-१ विषय में हिन्दी एवं अंग्रेजी के साथ परीक्षा में शामिल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदक इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक पद पर एवं भाषा-१ विषय में उर्दू एवं अंग्रेजी के साथ परीक्षा में शामिल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदक उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

5. इस जिले के प्रायः अनुच्छेद हैं। अपेक्षित बता आहत है। उस जिले के लिए लागू करने के लिए जनजातीय भाषा के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में इन निल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में छार्टर्ड हुआ है।
6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के जारीक 2096, दिनांक 25.04.11 एवं तदनुरूप झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 13 में निहित प्रावधान के अनुसार दिनांक 01.08.2015 को अधिकतम उम्र सीमा निर्णयित है। :-

कोटि	अधिकतम उम्र	विकलांगों के लिए अधिकतम उम्र
अनारक्षित —	35 वर्ष	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग —	37 वर्ष	42 वर्ष
महिला — (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	43 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति — (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

7. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 13 में निहित प्रावधान के अनुसार पारा शिक्षक के नामले में सभी कोटि के अध्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष है।
8. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में आरक्षण के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2020, दिनांक 09.04.10 या प्रभावी अद्यतन आदेश के अनुसार इस नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
9. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रावधानानुसार इस नियुक्ति में झारखण्ड राज्य के निवासी महिलाओं को नियमानुसार क्षेत्रिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। महिलाओं के लिए क्षेत्रिज रूप में आरक्षित पद के अन्तर्गत 5 प्रतिशत पद अर्हताधारी तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए होगा और ऐसी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य अर्हताधारी महिलाओं से इन पदों को भरा जायेगा।
10. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 7281, दिनांक 01.11.07 या प्रभावी अद्यतन आदेश द्वारा निर्गत संकल्प के अनुरूप जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में निःशक्त व्यक्तियों को क्षेत्रिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
11. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 5795, दिनांक 10.10.02 के अनुसार खेलकूद कोटा से दो प्रतिशत पद भी क्षेत्रिज रूप से आरक्षित है। तदनुसार, इस नियुक्ति में संकल्प में अंकित प्रावधानान्तर्गत झारखण्ड राज्य के निवासी खेलकूद कोटे के योग्य आवेदकों को नियुक्ति हेतु इस कोटे से आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
12. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के अनुसार शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिह्नित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत ऐसे अर्हताधारी पारा शिक्षक, जिनकी सेवा उस पंचांग वर्ष, जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी, की पहली अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की हो, में से तथा शेष 50 प्रतिशत पद गैर-पारा शिक्षक अर्हताधारी आवेदकों में से भरा जायेगा के अनुरूप रिक्ति का कोटिवार विवरण निम्नवत् है:-

(क.) गैर योजना अन्तर्गत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों (अग्रणीत सहित) का कोटिवार विवरण:-


कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद			गैर पारा शिक्षकों के लिए पद		
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षेत्रिज आरक्षण		कुल	कुल अन्तर्गत क्षेत्रिज आरक्षण	
			महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक		महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक
अनारक्षित	146	73	36	01	73	36	01
अनुसूचित जाति	43	21	10	00	22	11	00
अनुसूचित जनजाति	270	135	67	03	135	68	03
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
पिछड़ा वर्ग	08	04	02	00	04	02	00
कुल—	467	233	115	04	234	117	04
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षेत्रिज आरक्षण (3%)	14	7	3	0	7	3	0

(नं.) दोजना अन्तर्गत इन्डर नाशकित उद्योगिक के रिक्त पदों (अन्धारीत जाहिर) का कोटिवार विवरण:-

कोटि	पदों की संख्या	कांपर्त जाति शिक्षकों के लिए आवेदक वर्च			नए जाम शिक्षकों के लिए वर्च		
		कुल	कुल अन्तर्गत अंतिज आरक्षण	कुल	कुल अन्तर्गत अंतिज आरक्षण		
		महाला	योग्य खिलाड़ों आवेदक	नाहिला	योग्य खिलाड़ों आवेदक		
अनारक्षित	28	14	07 00	14	07 00		
अनुचुनित जाति	06	03	01 00	03	01 00		
अनुसूचित जनजाति	19	09	04 00	10	05 00		
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	03	01	00 00	02	01 00		
पिछड़ा वर्ग	02	01	00 00	01	00 00		
कुल-	58	28	12 00	30	14 00		
कुल अन्तर्गत निःशब्द आवेदकों हतु अंतिज आरक्षण ;3:द्व	दृष्टि निःशब्दता— मूक बधिर निःशब्दता— चलन निःशब्दता, आदि—			दृष्टि निःशब्दता— मूक बधिर निःशब्दता— चलन निःशब्दता, आदि—			

13. कुल कोटिवार रिक्त पदों के विरुद्ध आंशिक संशोधन किया जा सकता है।
14. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ज्ञारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ज्ञारखण्ड सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रदत् जाति एवं आवासीय प्रमाण—पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।
15. अहर्ताधारी आवेदकों में से उनके लिए चिह्नित रिक्तियों के विरुद्ध जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नियमानुसार प्रथम मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसमें कोटिवार अधिकतम उतने ही आवेदकों का नाम शामिल होगा, जितनी रिक्ति उस कोटि विशेष के लिए है। प्रथम कॉउसिलिंग उपरांत आवश्यकतानुरूप द्वितीय अथवा तृतीय मेधा सूची भी बारी—बारी से तैयार की जा सकेगी एवं कॉउसिलिंग की जायेगी।
16. कॉउसिलिंग में सही पाये गये प्रमाण—पत्रों/अहर्ताधारी आवेदकों के आधार पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची के प्रकाशनोपरांत शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। अगर योगदान नहीं करने के किसी भी परिस्थिति में प्रतीक्षा सूची पैनल का निर्माण नहीं किया जायेगा। अगर योगदान नहीं करने के फलस्वरूप कोई रिक्ति रह जाती है तो उसे अगली कार्यसम्पादन में ही विधिवत् भरा जायेगा।
17. अंतिम मेधा सूची के वेतनमान रु. 9300—34800, ग्रेड पे—4200 में होगी। उच्च शिक्षकों की नियुक्ति मूल कोटि ;इंप्रेंसिलिंग के वेतनमान रु. 9300—34800, ग्रेड पे—4200 में होगी। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर किसी उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जायेगी।
18. शिक्षक नियुक्ति संबंधी आवश्यक सूचनाएँ वेबसाईट ([website](http://www.jamtara.nic.in)), www.jamtara.nic.in पर दी जायेंगी। शिक्षक नियुक्ति संबंधी आवश्यक सूचनाएँ वेबसाईट ([website](http://www.jamtara.nic.in)), www.jamtara.nic.in पर दी जाने वाली सूचनाओं से अपने आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट पर दी जाने वाली सूचनाओं से अपने को भलीभांति अवगत रखें।
19. इच्छुक आवेदकों को यह सुझाव दिया जाता है कि आवेदन—पत्र में वांछित सभी सूचनाएँ सही—सही एवं साफ—साफ भरेंगे। आवेदन—पत्र में किसी प्रकार का काट—कूट या लिप्तलेखन नहीं रहना चाहिए। भविष्य में कोई भी सूचना/प्रमाण—पत्र गलत/असत्य/जाली पाये जाने पर अभ्यर्थित्व या नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
20. इच्छुक आवेदकों के हित में उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि शीघ्रताशीघ्र अपना आवेदन स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से भेजें। विलंब से/निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।


जिला शिक्षा अधीक्षक,
जामताड़ा


उपायुक्त,
जामताड़ा.

17. झारखण्ड के निम्नक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ सत्तर्गीता का विवरण—
 (क.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ कार्स का नाम —
 (ख.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ कार्स को जल्द थे —
 (ग.) प्रशिक्षण नोड (नियन्ति/ पत्राचार/ दूरस्थ शिक्षा) —
 (घ.) सत्र—
 (ड.) प्रशिक्षण उत्तोर्णता तिथि—
 (च.) प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय का नाम एवं पता —
 (छ.) संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय एवं उसके संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सत्र के छब्ज द्वारा मान्यता का विवरण (आवेदक के पास मान्यता पत्र उपलब्ध रहने की स्थिति में उसकी प्रति संलग्न करेंगे) —
18. झारखण्ड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाषा—ए में ली गई क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषा का नाम—
 19. अहर्ताधारी योग्य खिलाड़ी आवेदक (हॉ/ नहीं) :—
 (क.) यदि हॉ, तो खेल एवं उपलब्धि स्तर (जो आवेदक के मामले में लागू हो) का स्पष्ट विवरण —
 (i) —
 (ii) —
 (iii) —
 (iv) —

 (ख.) उपलब्धि प्रमाण—पत्र निर्गत करने वाले स्तर/ संस्थान का विवरण तथा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम —
 20. यदि पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हो तो :—
 i. विद्यालय का नाम एवं पता जहां कार्यरत हो :—
 ii. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन की तिथि :—
 iii. विद्यालय में कार्य प्रारंभ करने की तिथि :—
नोट :-
 (i) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/ कामजातों की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है :—
 मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत मैट्रिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण—पत्र, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
 (ii) शैक्षणिक योग्यता (यथा—मैट्रिक, इण्टर, 12व्ह, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा) का प्रमाण—पत्र/ अंक—पत्र।
 (iii) मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशैक्षणिक योग्यता (यथा—द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण/ चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड) / शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा) का प्रमाण—पत्र/ अंक—पत्र।
 (iv) झारखण्ड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण—पत्र/ अंक—पत्र।
 (v) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र।
 (vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रदत् आवासीय प्रमाण—पत्र।
 (vii) विकलाग कोटि में नियुक्ति का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुबंध—1 में निर्गत/ प्रदत् विकलागता प्रमाण—पत्र।
 (viii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 5795, दिनांक 10.10.02 के प्रावधानानुरूप सक्षम स्तर/ प्राधिकार द्वारा निर्गत योग्य खिलाड़ी का प्रमाण—पत्र।
 (ix) अहर्ताधारी तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत लीगल सेपेरेशन/ डायवोर्स समझसे मध्यमतंजपवदधकपअवतबमद्व का प्रमाण—पत्र एवं विधवा महिला की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण—पत्र एवं पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र।
 (x) पारा शिक्षक के मामले में उनका चयन/ नियुक्ति पत्र तथा संलग्न प्रपत्र में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्रदत् प्रमाण—पत्र।
 (xi) दो अद्यतन पासपोर्ट साईज कलर फोटो।

तिथि :—

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान :—